प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

....

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,

[illegible]
[illegible], सहारनपुर
[illegible]

पत्रांक: / टी–3 / सा0प0 / भा0स0संस्तुति   लखनऊ: दिनांक: 13/2/08

विषय: स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0, नई दिल्ली में गठित उपसमिति द्वारा किये लिए गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30/10/07 पर दिनांक 8/1/2008 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में 'राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद" की उपसमिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उपसमिति द्वारा आपके संस्थान से संबंधित स्थायी समिति की उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:–

क्र0 सं0	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी सम्बन्धन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी: स्थायी समिति द्वारा	संस्तुति की गयी: डी0जी0ई0टी0 द्वारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1-	Fitter 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	SC/R-20/10/2007 w.e.f. Aug-2007
2-	Electrician 04(2+2)	02(1+1)	02(1+1)	

DGET-6/24/46/2007-T.C.

<u>प्रयोग किये गये संकेत</u>

1. एस0सी0आई0आर0– स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
2. एस0आई0आर0– पृथक निरीक्षण रिपोर्ट
3. डी0आई0आर0– विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
4. यू0सी0– विचाराधीन
5. एन0आर0– संस्तुति नहीं किया गया
6. एन0सी0– विचार नहीं किया गया

आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गयी कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वॉछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गयी है, तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन